



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265361
CG-DL-E-12082025-265361

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3565]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 11, 2025/श्रावण 20, 1947

No. 3565]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 11, 2025/SHRAVANA 20, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2025

सं. 24/2025-26

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के तहत बांग्लादेश से भारत में कुछ वस्तुओं के आयात पर पत्तन प्रतिबंध।

का.आ. 3657(अ.)—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 07/2025-26 दिनांक 17.05.2025 और अधिसूचना संख्या 21/2025-26 दिनांक 27.06.2025 के क्रम में, केन्द्र सरकार तत्काल प्रभाव से आइटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची-1 (आयात नीति) के तहत आयात नीति के संबंध में सामान्य टिप्पणियों के पैरा 19(1) के उप-पैरा 2 के तहत निम्नलिखित आइटीसी एचएस कोड सम्मिलित करती है:—

क्र.सं.	एचएस कोड	मद विवरण	आयात नीति/पत्तन प्रतिबंध
(x)	531090	जूट के अथवा अन्य वस्त्र बास्ट फाइबर के ब्लीचड और	भारत-बांग्लादेश सीमा पर किसी भी भूमि पत्तन से बांग्लादेश से आयात की अनुमति नहीं होगी।

		अनब्लीच्ड बुने हुए कपड़े	तथापि, यह केवल न्हावा शेवा समुद्री पत्तन के माध्यम से अनुमत है।
(xi)	560890	जूट की सुतली, डोरीए रस्सी आदि	
(xii)	560790	सुतलीए डोरीए रस्सी और केबल	
(xiii)	630510	जूट के बोरे और थैले	

2. अधिसूचना संख्या 21/2025-26 दिनांक 27.06.2025 के अन्य नियम और शर्तें बिना किसी परिवर्तन के लागू रहेंगी।

अधिसूचना का प्रभाव:

बांग्लादेश से भारत को कुछ वस्तुओं का आयात तत्काल प्रभाव से विनियमित किया गया है।

[फा. सं. एम-01/93/180/11/एम-12/पीसी-II(बी)/पार्ट/ई-2604]

अजय भादू,
महानिदेशक विदेश व्यापार और
अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2025

No. 24 /2025-26

Subject: Port restriction on import of certain goods from Bangladesh to India under ITC (HS), 2022 Schedule 1 (Import Policy)-reg.

S.O. 3657(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, and in continuation to DGFT Notification No. 07/2025-26 dated 17.05.2025 and Notification No. 21/2025-26 dated 27.06.2025, the Central Government hereby additionally insert the following ITC HS Codes under sub-para 2 of Para 19 (1), below Sl. No. (ix) to General Notes Regarding Import Policy under ITC (HS), 2022 Schedule 1 (Import Policy), with immediate effect:

Sl. No.	HS Code	Item Description	Import Policy /Port restriction
(x)	531090	Bleached and unbleached woven fabrics of Jute or of other textile bast fibre.	Imports from Bangladesh shall not be allowed from any land port on the India-Bangladesh Border. However, it is allowed only through the Nhava Sheva Seaport.
(xi)	560890	Twine, cordage, rope, etc. of Jute	
(xii)	560790	Twine, cordage, rope, and cables	
(xiii)	630510	Sacks and bags of Jute	

2. Other terms and conditions of Notification No. 21/2025-26 dated 27.06.2025 shall remain in force without change.

Effect of the Notification:

Import of certain goods from Bangladesh to India is regulated with immediate effect.

[F. No. 01/93/180/11/AM-12/PC-II(B)/Pt./E-2604]

AJAY BHADOO,
Director General of Foreign Trade &
Addl. Secy.